

श्री ५ को सरकार
अर्थ मन्त्रालयको
सूचना

श्री ५ को सरकारले बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, वीरगञ्जले आ. व. २०४०। ४१ को लागि भारत तथा समुद्रपारका देशहरूबाट ज्ञिकाउने निम्न लिखित सामानहरूको आयातमा लाग्ने बिक्रीकर पूर्ण रूपमा छूट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशि गरिएको छ ।

मालसामानहरूको विवरण

- | | | | |
|-----|--|-----|----------------------------|
| १. | फलाम तथा इस्पातका शीट प्लेट, ऐंगल, चैनल, स्ट्रिप्प्लेट, राउण्ड रड, स्क्वायर रड | ३. | टायर तथा ट्यूब |
| २. | जी. आई. पाइप ब्लेक पाइप | ५. | वियरिङ्ग |
| ४. | ब्लेक ड्रम सेट | ७. | पेन्ट्रस |
| ६. | नट बोल्ट | ९. | ट्रेलर तथा टायर गाडा (रिम) |
| ८. | वेल्डिङ्ग रेड | ११. | डिस्क हेरोको डिस्क |
| १०. | कटिङ्ग आयल तथा क्वेचिङ्ग आयल | १३. | हैण्ड ग्लोभस् |
| १२. | टुल्स | १५. | केमिकल्स |
| १४. | मेशीनरी र औजार | | |
| १६. | एसिडहरू | | |

आज्ञाले,

लोकबहादुर श्रेष्ठ

श्री ५ को सरकारको का.मु.सचिव